

कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान
शासन सचिवालय, जयपुर

क्रमांक : प.8(1)(25)निर्वा / 2024 / 1862

जयपुर, दिनांक : ०५-३-२५

प्रेषक : मुख्य निर्वाचन अधिकारी
राजस्थान, जयपुर।प्रेषित : समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी
(कलक्टर) राजस्थान।

विषय : लोकसभा आम चुनाव, 2024 — लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 169 के साथ पठित धारा 60 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के संबंध में।

प्रसंग : विधि और न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग) की अधिसूचना दिनांक 01 मार्च, 2024
महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि विधि और न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग) ने भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने वाली अंग्रेजी और हिन्दी में निर्वाचनों के संचालन नियम, 1961 में संशोधन के संबंध में अधिसूचना संख्या का.आ. 995(अ). दिनांक 01.03.2024 को अधिसूचित हुई है।

भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने वाले अंग्रेजी और हिन्दी में निर्वाचनों के संचालन नियम, 1961 में संशोधन के संबंध में विधि और न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग) की अधिसूचना दिनांक 01 मार्च, 2024 निम्नानुसार है :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम निर्वाचनों का संचालन (संशोधन) नियम, 2024 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 27क के खंड (ड.) में, "80 वर्ष से अधिक", अंकों और शब्दों के स्थान पर, "85 वर्ष से अधिक", अंक और शब्द रखे जाएंगे।

अतः सुलभ सन्दर्भ हेतु विधि और न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग) की अधिसूचना दिनांक 01.03.24 की छायाप्रति संलग्न कर निवेदन है कि विधानसभा आम चुनाव/लोकसभा आम चुनाव/उप चुनावों में अधिसूचना अनुसार आवश्यक कार्रवाई कर पालना कराया जाना सुनिश्चित करावें। कृपया पत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करावें।

संलग्न- उपरोक्तानुसार।

भुवदीय,
(सुरेश चन्द्र)
विशेषाधिकारी, निर्वाचन विभाग
राजस्थान, जयपुर

ELECTION URGENT

क्रमांक : प.8(1)(25)निर्वा/2024/1862

जयपुर, दिनांक :- 04-3-24

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

1. निजी सचिव, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान।
2. संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान, जयपुर।
3. डाक मतपत्र प्रकोष्ठ, निर्वाचन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. समस्त मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल, राजस्थान।
5. राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, राजस्थान।
6. समस्त रिटर्निंग अधिकारी, संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, राजस्थान।


विशेषाधिकारी,
निर्वाचन विभाग
राजस्थान, जयपुर

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

No.3/4/2022/SDR/Vol.II

Dated: 4th March, 2024

To,

The Chief Electoral Officers of
All States and Union Territories

**Subject: Amendments in clause (e) of Rule 27A of the Conduct of Election Rules, 1961-
Modification in the Postal Ballot instructions regarding**

Madam/Sir,

I am directed to state that, on the recommendation of the Election Commission of India, the Ministry of Law & Justice has made amendment in clause (e) of Rule 27A of the Conduct of Election Rules, 1961 vide Gazette Notification S.O. 995(E), dated 1st March, 2024 (copy enclosed).

2. Vide the above said Notification, in rule 27A, in clause (e), for the words and figures "above 80 years", the words and figures "above 85 years" has been substituted.
3. Hence, now clause (e) of Rule 27A of the Conduct of Elections Rules, 1961 shall be as under: -

27A. Definitions. -...

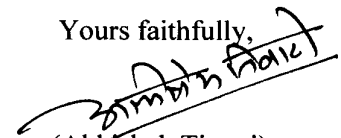
....

....

(e) 'senior citizen' for the purpose of this Part means an elector belonging to the class of absentee voters and is above 85 years of age

4. In view of the above said amendment, in para 15.2 (i), Format 4 and Format 5, of the Commission's instructions dated 31.10.2023 pertaining to the guidelines on postal ballot papers, the figure "80" **may be read as "85"**. Consequently, the Form 12D for exercising option of home voting shall be provided to the electors who are above 85 years of age in the category of Senior Citizen.
5. This may be brought to the notice of all District Election Officers/Returning Officers/Assistant Returning Officers and other election officers concerned and also to the State Units of recognized political parties and all registered unrecognized political parties based in your State/Union territory, for their information.

Yours faithfully,


(Abhishek Tiwari)
Under Secretary

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01032024-252530
CG-DL-E-01032024-252530

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 950]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 1, 2024/फाल्गुन 11, 1945

No. 950]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 1, 2024/PHALGUNA 11, 1945

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 मार्च, 2024

का.आ. 995(अ).—केन्द्रीय सरकार, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 169 के साथ पठित धारा 60 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत निर्वाचन आयोग से परामर्श करने के पश्चात्, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम निर्वाचनों का संचालन (संशोधन) नियम, 2024 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 27क के खंड (ड) में, “80 वर्ष से अधिक”, अंकों और शब्दों के स्थान पर, “85 वर्ष से अधिक”, अंक और शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. एच-11019/3/2024-वि.2]

सुधा रानी रेलंगी, संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शी

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण में अधिसूचना संख्यांक का.आ. 859(अ), तारीख 15 अप्रैल, 1961 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना संख्यांक का.आ. 3778(अ), तारीख 23 अगस्त, 2023 द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st March, 2024

S.O. 995(E).—In exercise of the powers conferred by section 60 read with section 169 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Central Government, after consulting the Election Commission of India, hereby makes the following rules further to amend the Conduct of Elections Rules, 1961, namely:—

1. (1) These rules may be called the Conduct of Elections (Amendment) Rules, 2024.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the conduct of Elections Rules, 1961, in rule 27A, in clause (e), for the words and figures “above 80 years”, the words and figures “above 85 years” shall be substituted.

[F. No. H-11019/3/2024-Leg.-II]

SUDHA RANI RELANGI, Jt. Secy. and Legislative Counsel

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary *vide* notification number S.O.859(E), dated the 15th April, 1961 and were last amended *vide* notification number S.O. 3778(E), dated the 23rd August, 2023.